प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

वांछित बाल अपचारी सहित कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार

02 अवैध शस्त्र बरामद

दिनांकः- 19.09.2026

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री अंकुर अग्रवाल द्वारा जनपद में सघन चेकिंग एवम् अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त निर्देश के क्रम में संबंधित क्षेत्राधिकारीगण के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में चेकिंग के दौरान बालअपचारी सहित कुल 02 अभियुक्तों को 02 अवैध शस्त्र व 03 कारतूस के साथ गिऱफ्तार किया गया है, विवरण निम्नवत् है-

थाना रामकोट पुलिस द्वारा वांछित बाल अपचारी सहित 01 अभियुक्त अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तारः- थाना रामकोट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान थाना स्थानीय पर पर पंजीकृत अभियोग 263/2026 धारा- 109(1)/115(2)/352/351(2) BNS में वांछित अभियुक्त 1.अभियुक्त गोलू पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी ग्राम हबीबपुर थाना रामकोट जनपद सीतापुर व एक बाल अपचारी को बिजौरा पुल के पास गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त गोलू उपरोक्त से मौके से एक अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियोग उपरोक्त में धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी कर अभियुक्त गोलू उपरोक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया तथा बाल अपचारी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी है।

थाना महोली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तारः- थाना महोली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त अर्जुन पुत्र बांकेलाल निवासी चौफरा थाना महोली जनपद सीतापुर को रायपुर कुसैना मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिससे मौके से एक अदद अवैध पौनी (देशी बन्दूक) 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 357/26 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट बनाम अर्जुन उपरोक्त पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

------------0-----------